

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक- वि०प्रा०(II)बि०कौ०वि०मि०-04/17 -

/पटना, दिनांक

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार,
वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना।

विषय :- बिहार कौशल विकास मिशन के अधीन पंजीकृत राजकीय पोलिटेकनिक, मुजफ्फरपुर में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार BSDM Portal से निर्गत कार्यादेश के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन हेतु कुल रु० 34,10,000=00 (चौतीस लाख दस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश - स्वीकृत।

राज्य सरकार, बिहार कौशल विकास मिशन के अधीन पंजीकृत राजकीय पोलिटेकनिक, मुजफ्फरपुर (पंजीकरण संख्या- SDC:-DS09010001) में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार BSDM Portal से निर्गत कार्यादेश के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन हेतु कुल रु० 34,10,000=00 (चौतीस लाख दस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

- उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2017-18 के राज्य स्कीम बजट "मुख्यशीर्ष-2203-तकनीकी शिक्षा उपमुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-112,-इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, माँग सं०-43, उपशीर्ष-0105-कौशल विकास मिशन" के अधीन 20 03 प्रशिक्षण व्यय विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा, जिसका विपत्र कोड-43- 2203001120105 है।
- इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, मुजफ्फरपुर होंगे।
- इस राशि की निकासी कोषागार मुजफ्फरपुर से की जायेगी।
- उक्त स्वीकृत राशि से संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन बिहार कौशल विकास मिशन (BSDM) के नोडल विभाग, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-339, दिनांक-23.08.2016 एवं संख्या-944 दिनांक-22.11.2017 के द्वारा निर्धारित समरूप प्रक्रियात्मक एवं दर मानक के आधार पर किया जायेगा।
- उक्त स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्यय, बिहार कौशल विकास मिशन BSDM के Portal से निर्गत Invoice के आधार पर ही व्यय सीमित रहेगी।
- उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।
- यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758 वि०, दिनांक-31.05.2017 के आलोक में सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोपरान्त आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।
- वित्त विभाग के पत्रांक-7355 वि० (2), दिनांक-05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/ -

(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक- वि०प्रा०(II)बि०कौ०वि०मि०-04/17 -

/पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ -

(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि०प्रा०(II)बि०कौ०वि०मि०-04/17 –

/पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, कोषागार मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि०प्रा०(II)बि०कौ०वि०मि०-04/17 –

/पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि०प्रा०(II)बि०कौ०वि०मि०-04/17 –

397

/पटना, दिनांक

12-2-2018

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/उप निदेशक (यो०)/बजट सहायक/आई.टी. मैनेजर (ई-मेल/विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव

12.02.18